

मुख्य समाचार

- ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में कल रात किया गिरफ्तार।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापनों सहित प्रचार सामग्री पर रोक लगाने का जारी किया परामर्श।
- झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर लगायी रोक, पुलिस को नोटिस जारी नहीं करने का दिया निर्देश।
- झारखंड में आज से मौसम होगा साफ, अगले दो-तीन दिनों में तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की होगी वृद्धि, होली में हल्के बादल छाये रहने के संकेत।
- इंडियन प्रीमियर लीग-आईपीएल 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से हो रहा शुरू, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा पहला मुकाबला।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया। श्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी उन्हें उनके आवास से नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय ले गई। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जायेगा। इससे पहले कल शाम ईडी की एक टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्री केजरीवाल को पेश होने के लिए नौ समन भेजे थे। श्री केजरीवाल ने सभी समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए टाल दिया था।

इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर सभी समर्थनकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों को किसी भी रूप में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापनों सहित प्रचार सामग्री पर रोक लगाने का परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को देखते हुए यह परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने आगाह किया है कि परामर्श के अनुपालन में विफलता पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अदालतों द्वारा आरोपियों को जमानत देते समय लगायी जाने वाली शर्तें कठिन, अनुचित और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दिये उस आदेश को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोपियों को 12 लाख रुपये के भुगतान करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के मामलों के साथ-साथ अग्रिम जमानत के मामलों में भी मापदंडों के अनुरूप आदेश पारित करने की जरूरत होती है लेकिन इस मामले में निचली अदालत द्वारा लगायी गयी शर्त कानून के अनुरूप नहीं है।

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची की गोंदा पुलिस के नोटिस पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर कल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अगले आदेश तक पुलिस, ईडी अधिकारियों को 41-ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला नहीं सकती है।

इस मामले में ईडी की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर जवाब के लिए अदालत ने राज्य सरकार ने एक सप्ताह दिया है।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड— जेबीवीएनएल ने होली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी किया है। जेबीवीएनएल ने सभी आपूर्ति कार्यालयों को कहा है कि राज्य में होली समेत गर्मी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जेबीवीएनएल ने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली उपकरणों की जांच, ट्रांसफॉर्मर जांच, फ्रीडर चेकिंग से लेकर अन्य तकनीकी चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी
[वेबसाइट news on air.gov.in](http://news.onair.gov.in) पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts और फेसबुक पेज
All India Radio news पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR news अंडर स्कोर_ranchi
और
फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा
YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi
पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

एनआईए ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित माओवादी बिनोद मिश्रा को धनबाद के धनसार से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि वह भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वह फरार चल रहा था।

लोहरदगा जिला में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

बंगाल की खाड़ी में बने टर्फ का असर झारखंड में कम होने लगा है। इससे आज से मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 मार्च को आसमान साफ रहेगा जबकि होली के समय 25 से 27 मार्च तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

संक्षिप्त खबरें

- सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने कल विभिन्न प्रखंडों के गांवों में मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करने, विद्युत आपूर्ति, हेल्प डेस्क, साइनेज, प्रवेश व निकास द्वार का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
- पूर्वी सिंहभूम जिले के दारीसाइ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गुरुवार को जिला स्तरीय सरसों किसान मेला का आयोजन किया गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर आरती बीना एक्का ने बताया कि इस मेले में 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

देवघर में चल रही राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल खूंटी के एथलिटों ने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। देवघर में 20 से 22 मार्च तक आयोजित राज्यस्तरीय जूनियर बालक-बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खूंटी की एथलीट हीरा सांगा ने 800 मीटर, 1500 मीटर में दोहरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं खूंटी के ही कालो मुंडू ने 1500 मीटर रेस में रजत प्राप्त किया।

इंडियन प्रीमियर लीग-आइपीएल आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जायेगा। टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद 27 वर्षीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड को टीम का कप्तान बनाया गया है।

अखबारों की सुर्खियां

राजधानी रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को पहली सुर्खी बनायी है। इसके अलावा...

प्रभात खबर ने आज से शुरू हो रहे आइपीएल की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने हेमंत सोरेन के मामले में इडी को पुलिस से मिले नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में दैनिक भास्कर की सुर्खी है- चंदे का पूरा सच बाहर।

दैनिक जागरण ने रांची में दारोगा मीरा सिंह और करीबी लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर इडी की छापेमारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की खबर को प्रमुखता दी है।

वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स आफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को पूरी जानकारी सौंपे जाने की खबर खबर को प्रमुखता दी है।
